

पत्रांक-7/लोस्वा0प्रयो0-21-01/2018 45(7)9

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

- 1) उप रासायनिक विश्लेषक सह लोक विश्लेषक-संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना।
- 2) निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।
- 3) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया।
- 4) अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर।
- 5) लोक विश्लेषक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर।
- 6) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, भोजपुर (आरा)।
- 7) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, मुंगेर।
- 8) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, सहरसा।
- 9) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, सारण (छपरा)।
- 10) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, पूर्णियाँ।
- 11) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)।

पटना, दिनांक : 05.10.18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ-0001-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ विपत्र कोड- 20-2210061070001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹2,30,37,400/- ( दो करोड़ तीस लाख सैतीस हजार चार सौ रूपये ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-08(7)ब दिनांक-07.06.18 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹2,30,37,400/- ( दो करोड़ तीस लाख सैतीस हजार चार सौ रूपये ) मात्र का आवंटन दी जाती हैं (विवरणों संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ-0001-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ विपत्र कोड- 20-2210061070001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप रासायनिक विश्लेषक सह लोक विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना/लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पिलग्रीम अस्पताल, गया के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया/जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर/जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लोक विश्लेषक जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर एवं जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल भोजपुर (आरा)/जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, मुंगेर/जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, सहरसा/ जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, छपरा/ जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, पूर्णियाँ/ जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, मोतिहारी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सदर अस्पताल के अधीक्षक होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।

7. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा।

8. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

05/10/18

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापक : 45(7)A

पटना, दिनांक : 05-10-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर,स्वास्थ्य/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग,पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

05/10/18

सरकार के विशेष सचिव

05/10/18

विवरणी-I

विशेष वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ उपशीर्ष अर्न्तर्गत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	कार्यालय व्यय	वर्दी/पोषाक	किराया महशूल एवं कर	कुल	अभ्युक्ति
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)		(13-01)	(13-06)	(14-01)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना	1600000	160000	240000	10000	3200	64000	2077200	0	0	0	2077200	
2	लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना	1600000	160000	240000	10000	3200	64000	2077200	0	0	0	2077200	
3	जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया	2100000	210000	315000	0	4200	84000	2713200	0	0	0	2713200	38/15.9.18
4	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर	436000	43600	65400	0	9000	15000	569000	0	0	0	569000	
5	जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर	2000000	200000	300000	0	4000	80000	2584000	5000	5000	5000	2599000	75/4.9.18
6	सदर अस्पताल, भोजपुर	1000000	100000	150000	0	2000	40000	1292000	0	0	0	1292000	
7	सदर अस्पताल, मुंगेर	470000	47000	70500	0	1000	18800	607300	0	0	0	607300	
8	सदर अस्पताल, सहरसा	470000	47000	70500	0	1000	18800	607300	0	0	0	607300	
9	सदर अस्पताल, छपरा	2600000	260000	390000	0	5200	104000	3359200	0	0	0	3359200	1263/19.9.18
10	सदर अस्पताल, पूर्णियाँ	2500000	250000	375000	0	5000	100000	3230000	10000	5000	0	3245000	2489/13.9.18
11	सदर अस्पताल, मोतिहारी	3000000	300000	450000	0	6000	120000	3876000	10000	5000	0	3891000	539/13.9.18
	कुल	17776000	1777600	2666400	20000	43800	708600	22992400	25000	15000	5000	23037400	

(दो करोड़ तीस लाख सैतीस हजार चार सौ) रु० मात्र

45(7)9  
05-10-18

24/10/18

सरकार के विशेष सचिव

**उपबंध की स्थिति**

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	41714000	20688000	17776000	38464000	3250000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	6257000	2068800	1777600	3846400	2410600
3	भकान किराया भत्ता (0001-01-04)	6674000	3103200	2666400	5769600	904400
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	864000	40000	20000	60000	804000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	864000	41376	43800	85176	778824
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	2085000	1241280	708600	1949880	135120
	<b>योग 20-2210.06.107.0001.01-वेतन</b>	<b>58458000</b>	<b>27182656</b>	<b>22992400</b>	<b>50175056</b>	<b>8282944</b>
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	100000	0	0	0	100000
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	500000	220000	0	220000	280000
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	500000	220000	25000	245000	255000
10	विधि प्रभार (0001-13-05)	100000	0	0	0	100000
11	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	80000	33000	15000	48000	32000
12	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	100000	44000	5000	49000	51000
13	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	568000	0	0	0	568000
14	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	120000	55000	0	55000	65000
15	मशीने एवं उपकरण (0001-52-01)	120000	0	0	0	120000
	<b>कुल योग:-</b>	<b>60646000</b>	<b>27754656</b>	<b>23037400</b>	<b>50792056</b>	<b>9853944</b>

M5(9)0

05-10-18

सरकार के विशेष सचिव

*(Signature)*